





## शासन की लोकफल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाये ग्रामवासी - कलेक्टर

राजनांदगांव (दावा)। राज्य शासन की मंस्त्रों के अनुरूप जनसमाचार की समस्याओं का समाधान करने तथा शासन की जलकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आज जिला स्तरीय निवारण शिविर का आयोजन डोगरागढ़ विकासखंड के ग्राम मोहारा में किया गया। शिविर में कलेक्टर संचय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत भरत वर्मा, सोइंओ जिला पंचायत सुरुचि सिंह शहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाया गया। शिविर में महरी पालविभाग के हितग्राहियों को अईस बायस, मछली जाल, कृषि पंचायत के हितग्राहियों को मक्का बीज, बैरी स्प्रेयर, उड़ानीकी विभाग के हितग्राहियों को सभ्यी बीज वितरण किया गया। इसी तरह श्रम विभाग द्वारा 35 श्रमिकों की श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, खाद्य विभाग द्वारा निवारण कर्तव्य सहित अन्य विभागों द्वारा पाठी दितग्राहियों को साप्तकीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के ग्रामवाल नहीं लाभ ले पाते हैं। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं, ताकि लोगों को लाभ मिल सके।



# कमिश्नर कावरे ने पलटा गया कलेक्टर और एसडीएम का आदेश

रायपुर (दावा)। संभागायुक्त महादेव कावरे ने धमतरी जिले के कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलट ग्राम पंचायत कुरा के सरपंच के विरुद्ध अतिक्रम की शिकायत की सूझ जांच की है। श्री कावरे ने इस प्रकरण में कलेक्टर और एसडीएम के फँसले पर प्रस्तुत साथ्यों का पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 प्रावधानों के तहत सूझ जांच कर एक माह में निराकरण के आदेश जारी किए हैं।

धमतरी जिले की कुरुंग ग्राम पंचायत के सरपंच खाड़न लाल साहू और उनके परिवारों द्वारा चार स्थानों पर ग्राम की शासकीय भूमि पर अतिक्रम, अतिक्रमित जीवन पर पका मकान और डुकन बनाकर लाभ लेने की शिकायत उपसरपंच और पंचों ने की थी। शिकायत की जांच भवारा के तहलीदार के तहलीदार के धारा 36 और धारा 40 के तहत कार्रवाई योग्य माना। उन्होंने प्रकरण में उल्लंघन साथ्यों, अवैध अतिक्रम पर भाखारा तहलीदार के प्रतिवेदन, सरपंच पर शासकीय विकास कार्यों के प्रति लापावाही और उदासीनता सहित सरपंच के परिवारों द्वारा शासकीय भूमि पर दिया गए अवैध अतिक्रमण के प्रति ग्राम पंचायत की धारा 36 और धारा 40 के तहत कार्रवाई की जांच करने के लिए निर्देश दिये हैं।

**अतिक्रमण की सूझ जांच कर धारा 36 और 40 के तहत सरपंच पर कार्रवाई के दिये निर्देश**

**धमतरी जिले की कुरुंग ग्राम पंचायत का मामला, एक माह में निराकरण के आदेश भी दिए**

के फँसले के विरुद्ध शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर नियायलाल में अपील की थी। धमतरी कलेक्टर ने भी एसडीएम के फँसले को सही मानते हुए प्रकरण में अपील की थी। उन्होंने प्रकरण में अपील की भी सूझ जांच करने के लिए निर्देश दिये हैं।





